रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240635 CG-DL-E-29112022-240635

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] No. 615] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली. 9 नवम्बर. 2022

सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(15). जबिक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 है, ने पारेषण योजना "एट्टापुरम, तूतीकोरिन, तिमलनाडु में एनटीपीसी के 230 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कनेक्टिविटी ट्रांसिमशन प्रणाली" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबिक, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division dated 05.11.2020 के द्वारा पारेषण योजना "एट्टापुरम, तूतीकोरिन, तिमलनाडु में एनटीपीसी के 230 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कनेक्टिविटी ट्रांसिमशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली शिरोपिर लाइनों के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने 11.04.2022, 27.04.2022 and 11.04.2022 (ट्रिनिटी मिरर, दक्षिण भारत राष्ट्रमत, मक्कल कुराल-तिमल) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 04.06.2022 से 10.06.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने 08.08.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का

7898 GI/2022 (1)

राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना एनटीपीसी लिमिटेड के अंतर्गत "एट्टापुरम, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में एनटीपीसी के 230 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कनेक्टिविटी ट्रांसिमशन प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपिर लाईन हैं:

1. एनटीपीसी लिमिटेड (एट्टायापुरम, तूतीकोरिन, टीएन में सौर संयंत्र का 230 केवी स्विचयार्ड)-तूतीकोरिन-II (जीआईएस आईएसटीएस एसएस) 230 केवी एस/सी लाइन (उच्च क्षमता वाले कंडक्टर के साथ नाममात्र वोल्टेज पर कम से कम 380 मेगावाट बिजली हस्तांतरण को सक्षम करता है)

इस योजना के अंतर्गत आवरित पारेषण लाइनें तमिलनाडु राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

राज्य: तमिलनाडु

गाँवो का नाम	तहसील	जिला
नविलक्कमपट्टी, चिन्नामलाईकुंद्र, एलंबुवनम, कुमारगिरी, एराचि	एट्टायपुरम	तूतीकोरिन
दुरैयुर	कोविलपट्टी	तूतीकोरिन
कुरुविनाथम, वडकु वंदनम	कायथार	तूतीकोरिन

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vi) एनटीपीसी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव, के.वि.प्रा. [विज्ञापन-III/4/असा./435/2022-23]

Central Electricity Authority

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2022

No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(15). whereas M/s NTPC Limited, the applicant with its registered office at NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line under the transmission scheme "Connectivity transmission system of NTPC's 230 MW solar power plant at Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu"

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division dated 05.11.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s NTPC Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Connectivity transmission system of NTPC's 230 MW solar power plant at Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu".

M/s NTPC Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 11.04.2022, 27.04.2022 and 11.04.2022 (Trinity Mirror, Dakshin Bhart Rashtramat, Makkal Kural-Tamil respectively) and in Weekly Gazette of India dated 04.06.2022 to 10.06.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Limited has submitted an affidavit dated 08.08.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885, with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity transmission system of NTPC's 230 MW solar power plant at Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. NTPC Ettayapuram Solar PV project - Tuticorin-II (GIS ISTS substation) 230 kV S/C line (high capacity conductor enabling at least 380 MW power transfer at nominal voltage)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns, and cities of Tamil Nadu:

State: - Tamil Nadu

Name of villages	Tehsil	District
Navilakkampatti, Chinnamalaikundru, Elambuvanam, Kumaragiri, Erachi	Ettayapuram	Tuticorin
Duraiyur	Kovilpatti	Tuticorin
Kuruvinaththam, Vadaku vandanam	Kayathar	Tuticorin

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NTPC Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years.
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of the proposed line.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

- (iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s NTPC Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy., C.E.A. [ADVT. -III/4/Exty. /435/2022-23]